न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी – शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी मूल अपील सं. – 36/2021
सी.आई.एस. सं. – 05/2017
सी.एन.आर. सं. – RJAJ170003472017

1 गुलाब देवी पत्नी शंकरलाल, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला, नया शहर किशनगढ़, जिला अजमेर।

2 जानकी देवी पत्नी श्री किशनलाल मालाकार, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला, नया शहर किशनगढ, जिला अजमेर।

3 ओमप्रकाश मालाकार पुत्र स्व. श्री रामदेव मालाकार, जाति माली, निवासी सब्जी मण्डी के पीछे, नया शहर, किशनगढ़।

– अपीलार्थी/वादीगण

ब ना म

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मदनगंज–किशनगढ अजमेर।

2 तहसीलदार, किशनगढ़।

3 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर।

– प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

दीवानी अपील अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017, जो श्रीमती ज्योत्सना मीना, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (प्रथम वर्ग) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ द्वारा दीवानी वाद सं. 33/2012 (30/2008) उनवान गुलाब देवी व अन्य बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थित –
1. अपीलार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री रामधन पोषक।
2. प्रत्यर्थीगण की ओर से – राजकीय अधिवक्ता।

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 27.03.2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय **अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (प्रथम वर्ग) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ द्वारा दीवानी वाद सं. 33/2012 (30/2008) उनवान गुलाब देवी व अन्य बनाम सार्वजनिक**

निर्माण विभाग व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 से व्यथित होकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़, जिला अजमेर में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के आदेश क्रमांक/अंतरण/2021/466 दिनांक 25.08.2021 की अनुपालना में दिनांक 05.10.2021 को अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार दर्ज किया गया।

2. प्रकरण की **वस्तुस्थिति** इस प्रकार है कि **वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक दीवानी वाद विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि** वादी सं. 1 व 2 के वैध स्वामित्व, आधिपत्य तथा खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नं. 332 ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में स्थित है, जिसका रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा है। वादी सं. 1 व 2 की उपरोक्त खसरा नं. भूमि की उत्तर दिशा में खसरा नं. 310 की भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि जिसकी लम्बाई चौड़ाई वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नक्शे ट्रेस में दर्शितानुसार है, जो करीब 26 फुट चौड़ाई की भूमि है, जिसका कुल रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा है। खसरा नं. 310 के सम्बन्ध में वादी सं. 1 व 2 को मार्गाधिकार प्राप्त है। इस रास्ते के उत्तर की ओर सरकारी भूमि है, जो प्रतिवादीगण की है। खसरा नं. 310 रास्ते की भूमि कृष्णापुरी फाटक से लेकर नक्शे ट्रेस में दिखाये अनुसार वादी सं. 1 व 2 की भूमि खंसरा नं. 332 के पश्चिम दिशा की ओर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुलती है। इस खसरा सं. 310 आम रास्ते की भूमि का उपयोग वादीगण एवं किशनगढ़ ग्राम के निवासी पिछले 50 वर्षों से निरन्तर आवागमन हेतु कर रहे हैं और यह सार्वजनिक मार्ग के रूप में ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण को खसरा नं. 310 की भूमि जो कि सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि है, पर राजस्व रिकार्ड पर दिखाये अनुसार भूमि की चौड़ाई एवं लम्बाई पर पक्की सड़क निर्मित करने का विधिक अधिकार प्राप्त है, किन्तु प्रतिवादीगण को इस बाबत कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादी सं. 1 व 2 के वैध स्वामित्व एवं आधिपत्य की खसरा नं. 332 की भूमि पर अथवा उसके साथ जुड़ी अन्य खातेदारों की भूमि पर से विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पक्की सड़क का निर्माण करें। प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त आम, सार्वजनिक रास्ते की भूमि खसरा नं. 310 पर जिसकी की राजस्व रिकार्ड में चौड़ाई करीब 26 फुट है। पक्की सड़क निर्माण कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इस खसरा नं. 310 पर 35 फुट चौड़ी सड़क निर्माण हेतु निविदा स्वीकृत की। वादी सं. 1 व 2 की भूमि खसरा नं. 332 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से भूमि अधिग्रहण हेतु प्रतिवादीगण ने कोई प्रक्रिया विधिनुसार नहीं अपनाई। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रस्तावित पक्की सड़क बनाये जाने हेतु मार्ग निर्धारण बाबत् कोई आम

सूचना रास्ते के मध्य आने वाले भूमि धारित खातेदारों के सम्बन्ध में प्रकाशित नहीं करवाई और ना ही ऐसी भूमिधारियों जिनमें वादी सं. 1 व 2 भी शामिल है। उनकी भूमि अधिकृत किये जाने हेतु विधिनुसार कोई सूचना पत्र जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण अपनी मर्जी मुताबिक अवैध रूप से राजस्व रिकार्ड में आम रास्ते की भूमि खसरा सं. 310 की चौड़ी 26 फुट के स्थान पर विधिविरुद्ध रूप से 35 फुट कर उस पर पक्की सड़क निर्मित करने पर आमादा है और इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 के ठेकेदार को निविदा जारी कर दी गयी है एवं प्रतिवादी सं. 1 के ठेकेदार एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी विधिविरुद्ध रूप से खसरा सं. 310 के दक्षिण दिशा की ओर स्थित भूमि धारियों की भूमि पर से विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अवैध रूप से पक्का रास्ता निर्मित कर रहे हैं। ऐसे भूमि धारियों में वादी सं. 1 व 2 भी सम्मिलित है। प्रतिवादीगण अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधान के विपरित भूमि का अधिग्रहण किये बिना, अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ऐसे भूमिधारियों को दिये बिना उस पर सड़क निर्माण का, मार्ग की चौड़ाई बढ़ाऐ जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा सं. 310 आम रास्ते की भूमि की उत्तर दिशा की ओर सरकारी भूमि है, जो प्रतिवादीगण की स्वयं की भूमि है। यदि प्रतिवादीगण खसरा सं. 310 आम रास्ते की भूमि की चौड़ाई जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मुताबिक करीब 26 फीट है। बढ़ाकर ज्यादा करना चाहते हैं तो इस हेतु रास्ते की भूमि की उत्तर दिशा की ओर सार्वजनिक सरकारी भूमि स्थित है, जिसका उपयोग रास्ते की चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु किया जा सकता है, किन्तु इसके विपरित प्रतिवादीगण प्रश्नगत रास्ते की चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु सार्वजनिक भूमि का उपयोग ना करके वादी सं. 1 व 2 तथा प्रश्नगत रास्ते के दक्षिण दिशा की ओर स्थित भूमिधारियों की भूमि का उपयोग रास्ते की चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित कर रहे हैं और इस हेतु प्रतिवादीगण द्वारा आवश्यक विधिक प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गयी है। वादी सं. 1 व 2 खसरा सं. 310 पर स्थित रास्ते का उपयोग अपनी भूमि खसरा सं. 332 में आवागमन हेतु करते हैं। इसलिये मार्ग की चौड़ाई निर्धारित करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 1 के ठेकेदार ने अवैध रूप से वादी सं. 1 व 2 की भूमि में करीब बीस फुट अन्दर घुसकर दिनांक 06.03.2008 को खुदाई कर दी। वहां पड़े वादीगण के पत्थरों को उखाड़ दिया। खसरा सं. 310 रास्ते की भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार ही रहे, इस बाबत वादीगण को मार्गाधिकार प्राप्त है। खसरा सं. 332 के पूर्व दिशा में खसरा सं. 333 की भूमि नगर पालिका, किशनगढ़ की भूमि है, जो आवासीय परियोजनार्थ है। इसके सटी हुई खसरा नं. 352 की भूमि पर जो खसरा

संख्या 334 के सटी हुई है, आवासीय परियोजनार्थ भूखण्ड काटे जा चुके हैं। खसरा सं. 332 एवं 310 की भूमि नगरपालिका के क्षेत्र में आती है। भूमि के चारों तरफ आवासीय परियोजनार्थ मकान बने हुए हैं, भूखण्ड स्थित है। वादीगण को विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना रास्ते की भूमि को निर्धारित नाप से भूमिधारियों की स्वीकृति के बिना बढ़ाये जाने के विरूद्ध वाद प्रस्तुति का दीवानी मार्गाधिकार प्राप्त है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जा खर्चा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे उनके कर्मचारी, प्रतिनिधि भविष्य में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रश्नगत खसरा नं. 310 सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की चौड़ाई वैध भूमिधारियों की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर नहीं बढ़ावें। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की आज्ञापक निषेधाज्ञा पारित की जावे की वह उसके कर्मचारी, प्रतिनिधि भविष्य में प्रश्नगत खसरा सं. 310 एवं ग्राम मदनगंज–किशनगढ़ के अन्य सार्वजनिक आम रास्तों की चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु एवं मार्ग निर्धारण हेतु विधिक प्रक्रिया की पालना करें।

3. प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र का **जवाब** इस आशय का पेश किया गया कि खसरा सं. 310 बिलानाम चारागाह भूमि नगर पालिका, किशनगढ़ को गैर मुमकिन रास्ता की 17 बीघा 6 बिस्वा भूमि हस्तांतरित की गई थी। खसरा सं. 310 की भूमि पर ही सार्वजनिक रोड सड़क बनाई जा रही है, जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर 150 लाख रुपये कुल किलोमीटर तक की सड़क बनाने हेतु स्वीकृति दी है, जिस कारण ही खसरा नं. 310 में जनहित में 1.5 किलोमीटर लंबी डामर सड़क राजस्थान के आदेशानुसार बनाई जा रही है, जिसके लिये अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर द्वारा नियमानुसार निविदा आमत्रित करके दिनांक 31.10.2007 को टेन्डर प्राप्त किये थे तथा वर्क आर्डर नं. 6273 दिनांक 27.11.2007 के अनुसार वर्क आर्डर दिया गया था तथा एग्रीमेन्ट अधिशाषी अभियन्ता एवं ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध सं. 140/07–08 निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार दिनांक 06.12.2007 से सड़क का कार्य शुरू किया गया था, जो निर्माण ठेकेदार को 05.06.2008 तक पूर्ण करना है और जनहित में उक्त सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है तथा रूपनगढ़ रोड पर स्थित सड़क पर ओवरब्रिज बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिये उपरोक्त खसरा नं. 310 में सड़क का निर्माण नागरिकों को आवागमन में होने वाली दिक्कतों परेशानियों को देखते हुए निर्माण करवाया जा रहा है, जिसे वादीगण तथा समस्त नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी एवं मौके पर

खसरा नं. 310 की पैमाइश के अनुसार ही सड़क का निर्माण खसरा नं. 310 पर करवाया जा रहा है तथा दिनांक 06.02.2008 को मौके पर सार्वजनिक तौर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जनता की मौजदगी में निर्माण शुरू किया गया था तथा निविदा के अनुसार ही सड़क का निर्माण ही मौके पर करवाया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार एवं जनहित का ध्यान रखते हुए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा एग्रीमेन्ट निष्पादित करके खसरा नं. 310 गैर मुमकिन रास्ता नगरपालिका, किशनगढ़ में पक्की रोड का निर्माण किया गया है और खसरा नं. 332 की भूमि पर रोड का निर्माण नहीं किया गया है और उक्त निर्माण कार्य आदेश जारी होने से पूर्व भी उक्त स्थल पर रास्ता था, जो कि आम रास्ता है तथा राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रास्ता दर्ज है और राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में केवल मात्र मौजूद रास्ता को सुविधाजनक बनाने के लिये पक्की डामर रोड बनाने के आदेश दिये थे, जिनका पालन किया गया है तथा निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 तथा ठेकेदार अधिशाषी अभियन्ता एवं राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार रोड बना रहे हैं न कि प्रतिवादी सं. 1 के आदेशानुतार रोड का निर्माण हो रहा है और निवेदन है कि केवल मात्र आवागमन हेतु केवल मात्र 3.75 मीटर यानी 12.5 फुट चौड़ी रोड डामर सड़क बनायी जा रही है तथा डामर रोड के दोनों तरफ 1.5 मीटर की पैदल आने–जाने हेतु पटरी बनायी जा रही है तथा मौके पर सड़क पर मिट्टी का कार्य पूर्ण हो कर ग्रेवल सड़क का कार्य प्रगति पर होने के तथ्यों की जानकारी भी दिनांक 11.03.2008 को न्यायालय को दी जा चुकी है तथा वादीगण ने केवल मात्र झूठे आरोप लगाकर यह दावा पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। खसरा नं. 332 कृषि भूमि है तथा कृषि भूमि के रास्ता बाबत समस्त विवाद की सुनवाई करने का क्षेत्रााधिकार राजस्व अधिनियम के अनुसार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, सिविल न्यायालय को वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दावा एवं प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा कराएं। प्रकरण जनहित का बताकर धारा 91 के तहत गलत अनुमति प्राप्त की है तथा धारा 80 एवं 79 सी.पी.सी. की पालना वादीगण ने नहीं की है तथा खसरा नं. 310 के मालिक नगर पालिका, किशनगढ़ तथा अधिशाषी अभियन्ता पी.ड.डी. अजमेर तथा राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण तथा गलत पक्षकार पर दावा करने के कारण उक्त प्रकरण खारिज होने योग्य है। न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिनांक 12.03.2008 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा दिनांक 13.03.2008 को पुनः न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा न्यायालय के आदेशानुसार पुनः तीसरी बार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 02.04.2008 के अनुसार सड़क का

निर्माण खसरा नं. 310 में ही किया जा रहा है तथा उक्त निर्माण खसरा नं. 310 गैर मुमकिन सड़क नगर–पालिका किशनगढ़ में किया जा रहा है तथा नगर पालिका किशनगढ़ की गैर मौजूदगी में तथा बिना रिप्रजेन्टिव सूट अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी का नहीं होने के कारण प्रस्तुत दावा एवं प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है तथा सिविल न्यायालय के माध्यम से राजस्व विवादों का फैसला करवाना गलत होगा एवं अविधिक होगा एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार न्यायालय को इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.03.2008 को ही तथा दिनांक 20.03.2008 भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं और उक्त दोनों प्रार्थना पत्र निस्तारण किए बिना ही मौका रिपोर्ट नगर पालिका, किशनगढ़ में महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन होगा। अतः वादीगण का दावा हर्जे खर्चे सहित खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए:–

(1) आया वादीगण वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं?

–वादीगण

(2) आया वादीगण प्रतिवादीगण को वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं?

–वादीगण

(3) आया पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण तथा असंयोजन के कारण दावा चलने योग्य नहीं है?

–प्रतिवादीगण

(4) आया इस न्यायालय को दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है?

–प्रतिवादीगण

(5) आया आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत दावा पेश नहीं करने से दावा चलने योग्य नहीं है?

–प्रतिवादीगण

(6) अनुतोष?

उक्त विवाद्यकों को साबित करने के लिए वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 किशन लाल, पी. डब्ल्यू 2 जानकी देवी, पी.डब्ल्यू 3 ओमप्रकाश को

परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–32 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी. डब्ल्यू 1 नरेन्द्र सिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से डिक्री करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि–

"एतद् द्वारा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा संख्या 310 के सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते को खसरा संख्या 332, 334 में अनाधिकृत प्रवेश कर चौड़ाई न बढ़ावे तथा आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण खसरा संख्या 310 की चौड़ाई बढ़ाये जाने एवं मार्ग निर्धारण हेतु खसरा संख्या 332, 334 के सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया की पालना करे।

प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वह पुनः विशेषज्ञ टीम गठित कर अधिकारिक रूप से उभयपक्षों के समक्ष सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् ही वादग्रस्त सड़क का निर्माण करे।"

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादीगण ने **हस्तगत अपील** प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय व डिक्री के निम्न प्रवर्तन भाग/Operative Portion के सम्बन्ध में ही अपील अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्णय व डिक्री के अन्य प्रवर्तन भाग/Operative Portion को अपीलार्थीगण स्वीकार करते हैं। अपीलार्थीगण की जिस सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत की जा रही है, वह निर्णय व डिक्री का निम्न भाग ही है और सिर्फ इसी को विलोपित किये जाने, हटाये जाने के सम्बन्ध में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की जा रही है, जो निम्नांकित हैः–

"प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वह पुनः विशेषज्ञ टीम गठित कर अधिकारिक रूप से उभय पक्षों के समक्ष सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् ही वादग्रस्त सड़क का निर्माण करे।"

6. अपीलार्थीगण सर्वप्रथम इस अपील में यह स्पष्ट रूप से निवेदन करते हैं कि निर्णय व डिक्री के निम्न अन्य प्रवर्तन भाग/Operative Portion के सम्बन्ध में

वह किसी भी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर रहे है, स्वीकार किये गये निर्णय व डिक्री के अन्य प्रवर्तन भाग/Operative Portion निम्न प्रकार है:–

7. एतद्द्वारा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा 310 के सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते को खसरा संख्या 332, 334 में अनाधिकृत प्रवेश कर चौड़ाई न बढ़ावे तथा आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण खसरा संख्या 310 की चौड़ाई बढ़ाये जाने एवं मार्ग निर्धारण हेतु खसरा संख्या 332, 334 के सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया की पालना करे।"

8. यहां यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन किया जा रहा है कि वह निर्णय व डिक्री के इस उपरोक्त अन्य प्रवर्तन भाग/Operative Portion के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं वह निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017 में पारित इस पैरा में वर्णित उपरोक्त अन्य प्रवर्तन भाग/Operative Portion को स्वीकार करते हैं अर्थात् इस सम्बन्ध में वह किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

9. अपीलार्थीगण मात्र निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017 के निम्न प्रवर्तन भाग/Operative Portion को विलोपित किये जाने, हटाये जाने के सम्बन्ध में ही अपील प्रस्तुत कर रहे है:–

10. "प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वह पुनः विशेषज्ञ टीम गठित कर अधिकारिक रूप से उभय पक्षों के समक्ष सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् ही वादग्रस्त सड़क का निर्माण करे।"

11. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2017 में पारित आदेश के प्रवर्तनीय भाग के द्वितीय चरण में उल्लेखित आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य तहसीलदार, किशनगढ़ यानि रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा विवादित स्थल का मौके पर नाप चोक हेतु राजस्व अधिकारियों की टीम गठित कर बाद नाप चोक दिनांक 16.07.2015 को प्रदर्श 29 मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें मौके की सारी स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में अन्य प्रकरण सं. 27/2015 उनवानी श्रीमती जानकी देवी बनाम नगर परिषद किशनगढ़ वगैरह में प्रदर्श 30 जवाबदावा, प्रदर्श 31 स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्श 29 को लिखित रूप से स्वीकार किया है। इतना ही नहीं उक्त

जवाब दावा को जरिए प्रदर्श सं. 32 के प्रतिवादी सं. 1 ने भी स्वीकार किया है। इतना ही नहीं प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत साक्षी नरेन्द्रसिंह ने भी अपने कथनों के उक्त जवाब के तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ऐसी अवस्था में दुबारा टीम गठित कर सीमाज्ञान (नाप चोक) करवाने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का न तो कोई मनन किया एवं न ही कोई विवेचन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई गौर किये बगैर दुबारा टीम गठित कर सीमाज्ञान कराने का निर्णय, डिक्री बखिलाफ कानून पारित किया है, जो विलोपित किये जाने, हटाये जाने योग्य है।

12. अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अंकित प्रवर्तन भाग/Operative Portion के द्वितीय अनुच्छेद में अंकित भाग "प्रतिवादी सं. 2 को आदेशित किया जाता है कि वह पुनः विशेषज्ञ टीम गठित कर आधिकारिक रूप से उभयपक्षों के समक्ष सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् ही वादग्रस्त सड़क का निर्माण करे।" को निर्णय व डिक्री के भाग से विलोपित किये जाने, हटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करे तथा अधीनस्थ न्यायालय में मौजूद प्रदर्श 29 मौका पर्चा दिनांक 16.07.2015 प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं. 2 तहसीलदार द्वारा बनाया गया था तथा उसे प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 तक ने सही व पूर्ण होना स्वीकार किया है। उसी अनुसार वादग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने बाबत निवेदन किया।

13. इसके अतिरिक्त अपीलार्थी/वादी ने आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2019 को पेश किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त अपील में प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) किशनगढ़ के द्वारा अपीलार्थीगण के दावे को मन्जूर फरमाते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष में डिक्री एवं निर्णय पारित करते हुए पुनः विवादित स्थल का नाप चौप कर रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण को सड़क निर्माण करने का आदेश पारित किया गया था, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील इस कारण से दायर की गयी कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 16.07.2015 को नाप चौप कर बाद नाप चौप अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रदर्श 29 प्रस्तुत की थी, जिसको नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश बैखिलाफ कानून पारित किया था। इसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 व 334 के पश्चिम दिशा में न्यू रेल्वे स्टेशन फरासिया (किशनगढ़) से एन.एच. 8 तक उत्तर दक्षिण लम्बाई में

अप्रोच रोड के निर्माण हेतु दिनांक 16.07.2015 के नाप चौप के मौका पर्चा में अंकित मुस्तकिल पोईन्ट (चौमेड़ा) को आधार मानते हुए नाप चौप करवाते हुए दिनांक 27.04.2017 को उक्त अप्रोच रोड के निर्माण में व्यय होने वाले 222 लाख रुपये की निविदा सूचना उक्त कार्य को 8 माह में पूर्ण करने हेतु आमन्त्रित की थी। उक्त निविदा का प्रकाशन दैनिक अखबार दैनिक नवज्योति में किया गया था, जो वास्ते अवलोकनार्थ संलग्न प्रार्थना पत्र फर्द दस्तावेज के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त अप्रोच रोड उक्त वर्णितानुसार बाद नाप चौप रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कायम की जाकर मौके पर बदस्तूर अवस्थित होकर वर्तमान में आवागमन के उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। उक्त वर्णित अप्रोच रोड को नक्शा ट्रेस में दर्शित किया गया है, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत है, जिसमें बाद नाप चौप उक्त अप्रोच रोड को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शित किया गया है, जो कि उक्त अपील के निर्णय हेतु महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेज है। उक्त अप्रोच रोड के निर्माण हेतु बाद नाप चौप भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 25.07.2017 को विभिन्न काश्तकारों की अप्रोच रोड हेतु अवाप्त की गयी भूमि का अवाप्त क्षेत्रफल का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भारतीय रेलवे के नाम अंकन कर व उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में अप्रोच रोड की तरमीम की कार्यवाही कर बाद नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं राजस्व मानचित्र की प्रति पेश करना सुनिश्चित करने का आदेश रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, किशनगढ़ को प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है, जो कि उक्त अपील के समुचित निर्णय हेतु महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेज है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 25.07.2017 की पालना हेतु रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, किशनगढ़ ने दिनांक 26.07.2017 को भू–अभिलेख निरीक्षक किशनगढ़, पटवारी हल्का मदनगंज व सांवतसर को आदेश भेज कर नवीन रेलवे स्टेशन की अप्रोच रोड हेतु अवाप्त भूमि के ग्राम फरासिया व मदनगंज के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भारतीय रेलवे के नाम अंकन करने व उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही कर बाद नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं राजस्व मानचित्र की प्रति प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया था, जिसके अनुसरण में उक्त अधिकारियों ने ग्राम फरासिया व मदनगंज के काश्तकारों की व अपीलार्थीगण की अप्रोच रोड हेतु अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 332 व 334 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जरिये नामान्तकरण अंकन कर भारतीय रेलवे के हक में अवाप्तशुदा भूमि का अंकन राजस्व मानचित्र में संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम की जाकर अप्रोच रोड का निर्माण किया गया है। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 332 में अवाप्तशुदा क्षेत्रफल की नामान्तकरण संख्या 2412 दिनांक 14.08.2017 का

जमाबन्दी में अंकन है, की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 334 में अवाप्तशुदा अप्रोच रोड की अपीलार्थीगण की भूमि भी जरिए नामान्तकरण संख्या 2412 दिनांक 14.08.2017 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 332 व 334 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, जिसमें अप्रोच रोड हेतु अवाप्तशुदा भूमि की खातेदारी का अंकन भारतीय रेलवे के नाम हो रखा है, प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित एवं फर्द दस्तावेज के साथ संलग्न सभी दस्तावेज प्रमाणित लोक दस्तावेजात है, जिनके बाबत् किसी प्रकार का संशय नहीं है। उक्त सभी दस्तावेज उक्त अपील के पूर्ण रूपेण निस्तारण प्रभावी निस्तारण हेतु अति महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजात है, जिनको रिकार्ड पर लेकर उक्त अपील की सुनवायी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से **लिखित जवाब** इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का दिनांक 27.02.2017 को गुणावगुण पर निर्णय करते हुए यह आदेश दिया था कि "प्रतिवादीगण खसरा संख्या 310 की चौड़ाई बढ़ाई जाने एवं मार्ग निर्धारण हेतु खसरा संख्या 332, 334 के संबंध में विधिक प्रक्रिया की पालना करे। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वह पुनः विशेषज्ञ टीम गठित कर अधिकारिक रूप से उभय पक्षों के समक्ष सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् ही वादग्रस्त सड़क का निर्माण करे।" जो आदेश विधिनुसार अंतिम आदेश था। अपीलार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपील के निर्णय हेतु महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेज नही है क्योंकि अपील प्रथमदृष्टया ही सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील को जानबूझकर डिले करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थीण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित दस्तावेज अपील से संबंधित, सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से मय हर्जेखर्चे खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

14. उभयपक्षों की बहस बाबत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी व मूल अपील पर बहस सुनी गई। अपील पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया।

15. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के

संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/वादी ने जरिए प्रार्थना पत्र सड़क निर्माण की निविदा अखबार प्रकाशन अप्रोच रोड का राजस्व नक्शा ट्रेस की सत्यप्रति, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा विभिन्न काश्तकारों की अप्रोच रोड हेतु अवाप्त की गयी भूमि का अवाप्त क्षेत्रफल का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भारतीय रेलवे के नाम अंकन करने एवं राजस्व मानचित्र में अप्रोच रोड की तरमीम की कार्यवाही कर बाद नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं राजस्व मानचित्र की प्रति पेश करने का आदेश रेस्पोडेन्ट तहसीलदार को पेश किया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रति, अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 332, 334 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जरिये नामान्तकरण अंकन अवाप्तशुदा भूमि भारतीय रेलवे के हक में करने का अंकन, उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति, खसरा सं. 332, 334 में अवाप्तशुदा क्षेत्रफल की नामान्तकरण सं. 2412 दिनांक 14.08.2017 की प्रमाणित प्रति, अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 332 व 334 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, जिसमें अप्रोच रोड हेतु अवाप्तशुदा भूमि की खातेदारी का अंकन भारतीय रेलवे के नाम हो रखा है, को लोक दस्तावेज होना बताते हुए अपील के पूर्ण रूप से निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण व सुसंगत होना बताते हुए उन्हें रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है। प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उक्त दस्तावेजों का महत्वपूर्ण व सुसंगत नहीं होना बताते हुए रिकॉर्ड पर लेने में आपत्ति होना जाहिर किया है।

अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत वादपत्र में अपीलार्थी/वादी द्वारा मुख्य रूप से स्वयं के राजस्व भूमि खसरा सं. 332 में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए खसरा सं. 310 सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ते की चौड़ाई अपीलार्थी/वादी की भूमि में अनधिकृत रूप से बढ़ाने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। उक्त खसरा में भूमि अपाप्त करने के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि के अवाप्तिकरण के संबंध में अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता विधि अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पास है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज रेलवे हेतु भूमि अवाप्तिकरण के संबंध में पेश किए जाने से हस्तगत प्रकरण में सुसंगत होना प्रकट नहीं होते। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी/वादी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में उक्त दस्तावेजों की हस्तगत अपील/प्रकरण में सुसंगतता के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए हैं। अतः ऐसी स्थिति में जबकि मूल वाद में उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है ना ही सुसंगतता बतायी गई है। अतः उक्त दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत नहीं होने से उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

16. इस अपील के निस्तारण हेतु हमें यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांक 27.02.2017 पारित करने में तथ्य एवं विधि की त्रुटि कारित की है अथवा नहीं?

17. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

18. दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपील का विरोध किया। विवादित भूमि जिसमें सड़क निर्माण होना अपीलार्थी/वादी ने बताया है, वह राजस्व भूमि है। खसरा सं. 332 होना वादी ने वादपत्र में बताया है। राजस्व भूमि को संबंधित मामलों को सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं है, बल्कि राजस्व न्यायालय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी डिक्री/आदेश सुनवाई की अधिकारिता के अभाव में शून्य है। अतः संपूर्ण आदेश अपास्त योग्य है। आदेश 1 नियम 8 की पालना भी नहीं की गई है। राज्य सरकार को पक्षकार कायम नहीं किया ना ही धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिया। अतः संपूर्ण निर्णय/आदेश अपास्त किया जावे।

19. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। हस्तगत अपील में अपीलार्थी/वादीगण द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017 को चुनौती दी गई है कि निर्णय व डिक्री के प्रवर्तन भाग/Operative Portion को वे स्वीकार करते हैं तथा अपील के पद सं. 1 में वर्णित निर्णय के जिस भाग को विलोपित करने, हटाने के संबंध में हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि "प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वह पुनः विशेषज्ञ टीम गठित कर अधिकारिक रूप से उभय पक्षों के समक्ष सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् ही वादग्रस्त सड़क का निर्माण करे।" उक्त आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य बताया है। उक्त आधार के संबंध में यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 29 मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 16.07.2015 को उपेक्षित करते हुए प्रश्नगत भाग प्रवर्तन भाग/Operative Portion में आदेश दिया है, जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है। इस संबंध में वादपत्र में इस प्रकृति का कोई अनुतोष नहीं मांगा था। अतः निर्णय व डिक्री में पारित उक्त आदेश को हटाया जाने/विलोपित किए जाने का निवेदन किया है।

20. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश 27.02.2017 को

प्रकरण में विरचित समस्त विवाद्यकों पर अपना निष्कर्ष देने के उपरांत अंतिम आदेश के रूप में पारित किया है। अपीलार्थी/वादी ने निर्णय के कुछ भाग को हटाने का जरिए अपील निवेदन किया है, परंतु जो आदेश पारित किया गया है वह संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन विश्लेषण के उपरांत अंतिम निष्कर्ष के बतौर दिया गया है। अतः प्रकरण में विरचित समस्त विवाद्यकों में दिए गए निष्कर्षों का अवलोकन व विवेचन विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में जो विवाद्यक विरचित किए गए हैं उनमें विवाद्यक सं. 4 व 5 परस्पर संबंधित होने से उनका विवेचन संयुक्त रूप से किया जा रहा है तथा उक्त विवाद्यक विधिक विवाद्यक भी है। अतः उक्त विवाद्यकों का विनिश्चय सर्वप्रथम किया जाना आवश्यक है।

विवाद्यक सं. 4 में प्रतिवादी को यह साबित करना है कि "आया इस न्यायालय को दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है?'' इस संबंध में वादी के द्वारा प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह के विरूद्ध इस आशय का वादपत्र प्रस्तुत किया गया था कि वादी सं. 1 व 2 के वैध स्वामित्व, आधिपत्य तथा खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नं. 332 ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में स्थित होना, जिसका क्षेत्रफल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा होना बताया है। वादी ने अपने उक्त वादपत्र में मुख्य रूप से प्रतिवादी सं. 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से वादी सं. 1 व 2 की भूमि खसरा सं. 332 में करीब 20 फूट अन्दर घुसकर खुदाई करना, सड़क निर्माण बिना भूमि को अधिगृहित किए गैर मुमकिन रास्ता खसरा सं. 310 की चौड़ाई 26 फूट के स्थान पर विधिविरूद्ध रूप से 35 फूट कर वादी की भूमि में पक्की सड़क निर्मित करने पर आमादा होना तथा वादीगण को विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना रास्ते की भूमि को निर्धारित नाप से भूमिधारियों की स्वीकृति के बिना बढ़ाए जाने के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का दीवानी मार्गाधिकार प्राप्त होना बताते हुए स्वयं के खसरा सं. 332 में अवैध रूप से खुदाई कर प्रश्नगत रास्ते की चौड़ाई 35 फूट करना बताते हुए प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा खसरा सं. 310 गैर मुमकिन की भूमि की चौड़ाई वैध भूमिधारियों की भूमि में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर नहीं बढ़ाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा सं. 310 की भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की रोड बनाया जाना, खसरा सं. 332 की भूमि पर रोड का निर्माण नहीं किया जाना तथा जनहित वाद बताकर धारा 91 सीपीसी के तहत गलत अनुमति प्राप्त करना, नगर पालिका, किशनगढ़ जो कि खसरा सं. 310 की मालिक है व राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाना, आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत दावा पेश नहीं करना तथा दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार तथा खसरा सं. 332 कृषि भूमि होने से कृषि भूमि के रास्ते बाबत

समस्त वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होने, सिविल न्यायालय को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं होने का कथन करते हुए वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया था।

21. इस प्रकार से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व साक्ष्य से वादी के स्वयं के आधिपत्य व खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा सं. 332 ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में स्थित होना बताया गया है तथा उक्त भूमि राजस्व भूमि है। उक्त भूमि का आवासीय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए भूमि परिवर्तन हो गया हो ऐसा कोई आदेश अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त भूमि वादी के स्वयं के कथनानुसार राजस्व भूमि होना प्रकट होता है। वादी ने अपने वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से वादी की उक्त खसरा सं. 332 में करीब 20 फूट अंदर घुसकर खुदाई करना सड़क निर्माण बिना भूमि को अधिग्रहित किए करना तथा गैर मुमकिन रास्ते की खसरा सं. 310 की चौड़ाई 35 फूट कर वादी की उक्त खसरा भूमि में पक्की सड़क निर्मित करने को आमादा होने के कथन किया गया है। जिरह में गवाह किशनलाल पी.ड. 1 ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि खसरा नं. 332, 334 का सही नापचौप करके इन खसरों की जमीन को छोड़कर बाद में खसरा सं. 310 में कार्य किया जा रहा है। अजखुद कहा कि उनकी खातेदारी की भूमि खसरा सं. 332 में अनधिकृत रूप से 6 गट्टा अंदर घुसकर उसके खेत के मध्य रोड का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था। अतः वादी द्वारा मुख्य रूप से स्वयं की खातेदारी भूमि में सड़क निर्माण करने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। राजस्व भूमि से संबंधित प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय को है। सिविल न्यायालय को इस संबंध में कृषि भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा या आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक मार्ग के अधिकार के संबंध में कोई अनुतोष प्रदान करने के अधिकारिता सिविल न्यायालय को है तो वह धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त सुखाधिकार के रूप में उपयोग उपभोग में लाए जाने के रास्ते के संबंध में घोषणा का अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता उक्त विधिक प्रावधान में प्रदान की गई है। जबकि हस्तगत प्रकरण में सुखाधिकार के आधार पर रास्ते की घोषणा बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, बल्कि स्वयं की खसरा भूमि में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा सं. 310 में निर्मित किए जाने वाले रास्ते की चौड़ाई अनधिकृत रूप से उनके खसरा सं. 332 में बढ़ाए जाने के

आधार पर अनुतोष चाहा गया है, जो स्पष्टतया राजस्व भूमि के संबंध में चाहा गया है, अनुतोष है, जिसको प्रदान करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को है, इसी प्रकार राजस्व भूमियों के सीमा संबंधी विवादों के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख अधिकारियों को धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में है। धारा 259 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित करता है। जहां सीमा विवाद व भू–संपत्ति धारको के बीच स्वत्व (टाइटल) का विवाद है तो सिविल न्यायालय को अधिकारिता है, परंतु हस्तगत प्रकरण में सीमा विवाद में स्वत्व संबंधी विवाद नहीं है। अतः प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है, सिविल न्यायालय को नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 4 के विवेचन में क्षेत्राधिकारिता संबंधी बिन्दु को इस आधार पर निस्तारित किया गया है कि उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ना ही उक्त बिन्दु पर अपनी बहस के दौरान कथन किया गया है। जबकि उक्त बिन्दु पूर्णतया विधिक बिन्दु है, जिसका निस्तारण करने के लिए न्यायालय को किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न वादी के वादपत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्टतया स्वयं की भूमि को खातेदारी के अधिकारों की भूमि खसरा सं. 332 होना बताया है तथा उसी के अनुक्रम में अनुतोष चाहा है। वादी ने अपनी साक्ष्य में भी उक्त भूमि का राजस्व भूमि होना बताया है। प्रतिवादीगण ने भी जवाब दावे में उक्त भूमि राजस्व भूमि होने से वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होना बताया। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक पर जो निष्कर्ष दिया गया है वह विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में दिया गया है, जो उचित नहीं माना जा सकता है। अतः चूंकि अपीलार्थी/वादी द्वारा मूल प्रकरण में जो अनुतोष चाहा गया है वह राजस्व भूमि के संबंध में चाहा गया है, जिसको प्रदान करने की अधिकारिता केवल राजस्व न्यायालय को होने से सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी/वादी द्वारा यद्यपि निर्णय/डिक्री दिनांक 27.02.2017 के भाग के विरूद्ध अपील की गई है, परंतु इस संबंध में विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जावे तो **आदेश 41 नियम 33 सीपीसी** यह उपबंध करती है किः–

22. **अपील न्यायालय की शक्ति–** अपील न्यायालय की यह शक्ति होगी कि वह कोई ऐसी डिक्री पारित करे या कोई ऐसा आदेश करे जो पारित की जानी चाहिए थी या जो किया जाना चाहिए था और ऐसा या अतिरिक्त या अन्य डिक्री या आदेश पारित करे, जो मामले में अपेक्षित हो, और उस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा

इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील डिक्री के केवल भाग के बारे में है और यह शक्ति सभी प्रत्यर्थियों या पक्षकारों या उनमें से किसी के पक्ष में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसे प्रत्यर्थियों या पक्षकारों ने कोई भी अपील या आक्षेप फाइल न किया हो। और जहाँ प्रतिपवादों में डिक्रियाँ हुई हों या जहाँ एक वाद में दो या अधिक डिक्रियाँ पारित की गई हों वहाँ यह शक्ति सभी डिक्रियों या उनमें से किसी के बारे में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसी डिक्रियों के विरुद्ध अपील फाइल न की गई हो]

23. इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधान में जहां अपील डिक्री के भाग की ही की गई हो, प्रत्यर्थी द्वारा क्रॉस ऑब्जेकशन, क्रॉस अपील ना भी पेश की गई हो तब भी न्यायालय प्रत्यर्थी/किसी पक्षकार के पक्ष में निर्णय/आदेश पारित कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में यद्यपि वादी ने निर्णय/डिक्री दिनांक 27.02.2017 के भाग की अपील की है, परंतु क्षेत्राधिकार का प्रश्न व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के प्रश्न विधिक विवाद्यक है, जिनके लिए क्रॉस ऑब्जेक्शन या क्रॉस अपील की आवश्यकता नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारिता के अभाव में कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वह निर्णय/आदेश डिक्री विधि के दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य है और कोई प्रभाव नहीं रखती है। अतः अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में पेश किया गया है, जिसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः उक्त विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

24. जहां तक **विवाद्यक सं. 5** में प्रतिवादी को यह साबित करना है कि "आया आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत दावा पेश नहीं करने से दावा चलने योग्य नहीं है?'' तो इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों व साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादी द्वारा अपने वादपत्र में कृषि भूमि खसरा सं. 332 में सड़क निर्माण विभाग द्वारा अवैध रूप से प्रवेश कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कथन किया गया है तथा उक्त आधार पर अनुतोष चाहा गया है। वादी ने अपने वादपत्र में कृषि भूमि होना बताया है तथा वाद आवश्यक प्रकृति का होना बताते हुए धारा 91 सीपीसी व धारा 80(2) सीपीसी के तहत अनुमति प्राप्त कर व्यक्तिगत हित के साथ–साथ सार्वजनिक हित में भी वाद प्रस्तुत किए जाने का अंकन वादपत्र के पैरा सं. 16 में किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.07.2008 में वादिया द्वारा धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र व धारा 91 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई यह आदेश दिया गया है कि न्यायालय के द्वारा समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिवादी के अधिकारों को

सुरक्षित रखते हुए दावा पेश करने की अनुमति दी गई है। प्रकरण में जवाब दावा आ चुका है। यह तथ्य जवाब दावे में विवाद्यक कायम किए जाकर निर्णीत किए जाने हैं। धारा 80(2) सीपीसी व धारा 91 सीपीसी का प्रार्थना पत्र इस स्तर पर कोई आपत्ति पर आदेश देना विधिसम्मत नहीं है। विवाद्यक कायम किया जाकर निर्णय करना उचित होगा। इस प्रकार न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को विवाद्यक कायम किए जाने के उपरांत निर्णीत किया जाना विधिसम्मत माना था। इस संबंध में विवाद्यक सं. 5 कायम किया गया है, जिसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि उक्त विवाद्यक एक विधिक प्रश्न है, जिसकी जांच न्यायालय द्वारा भी की जा सकती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद धारा 91 सीपीसी के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा वादपत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी सं. 1 व 2 को खसरा सं. 332, 334 में प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक रोड का निर्माण किया जाता है तो इस संबंध में उन्हें विशेष हानि होगी। उक्त वाद के संबंध में वादीगण द्वारा स्वयं के हितों की रक्षा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त हस्तगत वाद को वादीगण अपने स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है और इस प्रकार विवाद्यक सं. 5 को प्रतिवादी के विरूद्ध विनिश्चित किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है उसके संबंध में विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जावे तो आदेश 1 नियम 8 में यह उपबंधित किया गया है कि–

8. एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा– (1) जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, वहां, –

(क) इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे;

(ख) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि वह इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाए जा सकेंगे या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे।

(2) न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा या निदेश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो वैयक्तिक तामील कराकर या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां लोक विज्ञापन द्वारा, जैसा भी न्यायालय हर

एक मामले में निर्दिष्ट करे, वाद के संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा।

25. इस प्रकार से उक्त विधिक प्रावधानों में किसी वाद में हित रखने वाले व्यक्ति हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदा के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकते हैं या उनके विरूद्ध वाद लाया जा सकता है या न्यायालय भी इस प्रकार का आदेश दे सकता है, परंतु उक्त आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के उपनियम (2) में यह उपबंधित है कि जहां उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा या निदेश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो वैयक्तिक तामील कराकर या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां लोक विज्ञापन द्वारा वाद संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर दिए जाने का प्रावधान है, हस्तगत वाद में वादी द्वारा अपने वादपत्र के पैरा सं. 16 में यह अंकित किया गया है कि यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 80(2) सीपीसी एवं धारा 91 सीपीसी के तहत अनुमति प्राप्त कर व्यक्तिगत हित के साथ–साथ सार्वजनिक हित में प्रस्तुत किया जा रहा है, अंकित किया है। धारा 91 सीपीसी मूलभूत सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है तथा उसकी प्रक्रिया आदेश 1 नियम 8 में उपबंधित है, परंतु वादी के द्वारा जबकि स्वयं उक्त वाद को धारा 91 सीपीसी के तहत व्यक्तिगत व सार्वजनिक हित का मानते हुए प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत लोक विज्ञापन द्वारा या व्यक्तिगत तामील द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को तामील करवाना आवश्यक था। उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है, परंतु उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना प्रकरण में अपीलार्थी/वादी द्वारा नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि वादीगण द्वारा स्वयं के हितों की रक्षा करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है वह स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में उल्लेखित अभिवचनों व प्रस्तुत धारा 91 सीपीसी के प्रार्थना पत्र से प्रकट नहीं होता है, बल्कि वाद व्यक्तिगत हित के साथ–साथ सार्वजनिक हित का होने के आधार पर वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 8 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने से भी उक्त वाद विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने से खारिज योग्य है। जबकि आदेशिका दिनांक 10.03.2008 के द्वारा न्यायालय के द्वारा धारा 91 सीपीसी व धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के आपत्ति के अधीन सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने से उक्त विवाद्यक

वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है।

26. जहां तक **विवाद्यक सं. 3** में पक्षकारों के कुसंयोजन व असंयोजन के कारण दावा चलने योग्य नहीं होने का तथ्य प्रतिवादीगण को साबित करना था, इस संबंध में हस्तगत वाद वादीगण द्वारा खसरा सं. 332 की भूमि में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से सड़क निर्माण करने से स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा के संबंध में पेश किया गया है। यद्यपि प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग को व राज्य सरकार जरिए जिलाधीश को पक्षकार कायम किया गया है, परंतु खसरा सं. 310 रास्ता नगर पालिका की भूमि होना बताया उसे पक्षकार कायम नहीं किया, जो आवश्यक पक्षकार थी, परंतु उन्हें पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अतः उक्त वाद पक्षकारों के असंयोजन की त्रुटि से भी ग्रसित है। अतः उक्त विवाद्यक आंशिक तौर पर प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

27. **विवाद्यक सं. 1** में वादीगण को यह साबित करना है कि "आया वादीगण वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं?'' तथा **विवाद्यक सं. 2** में वादीगण को यह साबित करना है कि "आया वादीगण प्रतिवादीगण को वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं?'' उक्त दोनों विवाद्यक परस्पर संबंधित है। वादीगण द्वारा उक्त विवाद्यकों के संबंध में अपने अभिवचनों व साक्ष्य में मुख्य तौर पर यह कथन किया है कि उनके वैध स्वामित्व, आधिपत्य तथा खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नं. 332 ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में स्थित है, जिसका रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा है, के उत्तर दिशा में खसरा नं. 310 की भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है, जिसकी चौड़ाई करीब 26 फुट है, उक्त खसरा नं. 310 की सार्वजनिक भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा खसरा नं. 310 पर 35 फुट चौड़ी सड़क निर्माण हेतु निविदा स्वीकृत होना तथा अवैध रूप से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए वादीगण की भूमि खसरा सं. 332 में भूमि का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क बनाए जाने के आधार पर आपत्ति की गई है व अनुतोष चाहा गया है, परंतु पूर्व में विधिक विवाद्यकों के विवेचनानुसार वादी द्वारा कथित स्वयं के स्वामित्व की भूमि खातेदारी कृषि भूमि होकर राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अधीन है चाहा गया अनुतोष भी स्वयं की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से सड़क निर्माण नहीं करने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा के संबंध में चाहा गया है। उकत अनुतोष को प्रदान करने की अधिकारिता पूर्व विवेचनानुसार केवल राजस्व न्यायालय को है, सिविल न्यायालय को उक्त अनुतोष प्रदत्त करने की अधिकारिता नहीं होने से

वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ना ही इस संबंध में प्रतिवादी को इस संबंध में पाबंद करने की सिविल न्यायालय का अधिकार है। अतः उक्त विवाद्यकों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध तय किए जाते हैं।

अनुतोषः–

28. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित भूमि खसरा सं. 332 जिसके संबंध में अपीलार्थी/वादी ने मूल दावे में स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा वह भूमि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में होने व अनुतोष की विषयवस्तु भी राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में होने से सिविल न्यायालय को उक्त वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित निर्णय/आदेश प्रारम्भ से ही शून्य प्रभाव रखते हैं व अपास्त योग्य है। विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है। अतः विवाद्यक सं. 3, 4 व 5 प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में तय होने से वाद वादी खारिज योग्य है व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधिकारिता के अभाव में पारित होने से अपास्त योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017 को पारित किया गया है, वह अपास्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है तथा अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील भी खारिज किए जाने योग्य है।

– आ दे श–

29. परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील विरूद्ध प्रत्यर्थीगण अंतर्गत आदेश 41 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017 दीवानी वाद सं. 33/2012 (30/2008) उनवान गुलाब देवी व अन्य बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (प्रथम वर्ग) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, जिला अजमेर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित होने व उनका प्रभाव प्रारम्भतः शून्य होने से उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2017 को भी अपास्त किया जाता है तथा वादी/अपीलार्थी का वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ

न्यायालय को मय अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।

30. निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।